न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 428/2016/डिक्री

गोविन्दराम पिता नन्दराम ब्राह्म्ण
निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. निर्मला देवी पत्नि ज्ञानप्रकाश बारेगामा
2. प्रशान्त पिता भगवतीलाल बारेगामा
3. रेणु पिता भगवतीलाल बारेगामा
4. कविता पत्नि राजेश ब्राह्म्ण
5. शंकर पिता जानकीलाल बारेगामा
6. राजू पिता जानकीलाल बारेगामा
7. किशनलाल पिता जानकीलाल बारेगामा
   निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
8. सुनिता बाई पिता जानकीलाल पत्नि रामविलास बारेगामा
   निवासी बुद्धाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
9. सुमाबाई पत्नि प्रेमशंकर बारेगामा
   निवासी बुद्धाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
10. बसन्ताबाई पत्नि संजय मोदी
    निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
11. राज्य जरिये तहसीलदार कपासन

–रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कपासन
दिनांक 14.07.2016 प्रकरण सं. 127/2015

उपस्थित – 1. श्री चन्द्रशेखर जोशी – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जगदीश चन्द्र जोशी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1
3. श्री कृष्णगोपाल झंवर – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–2

निर्णय दिनांक– 04.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन के यहां रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निर्मलादेवी पत्नि ज्ञानप्रकाश बारेगामा ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. के तहत प्रस्तुत किया जो ग्राम बुद्धखेडा के हल्के आराजी नम्बर 13 रकबा 0.06 है0 आराजी नम्बर 14 रकबा 0.41 है0 आराजी नम्बर 15 रकबा

0.20 है0 आराजी नम्बर 16 रकबा 0.22 है0, आराजी नम्बर 17 रकबा 0.09 है0 आराजी नम्बर 21 रकबा 0.09 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.07 है0 तथा ग्राम कपासन की हाल आराजी नम्बर 2850 रकबा 0.028 है0 आराजी नम्बर 5265 रकबा 0.45 है0 आराजी नम्बर 5266 रकबा 0.01 है0 आराजी नम्बर 5267 रकबा 0.055 है0 आराजी नम्बर 5273 रकबा 0.090 है0 आराजी नम्बर 5274 रकबा 0.023 है0 आराजी नम्बर 5275 रकबा 0.020 है0 आराजी नम्बर 5350 रकबा 0.86 है0, आराजी नम्बर 5351 रकबा 0.13 है0, आराजी नम्बर 6523 रकबा 0.28 है0 आराजी नम्बर 6524 रकबा 0.44 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 4.43 है0 मे वादिया का 1/4 हिस्सा सह खातेदारान से अलग करते हुए तहसीलदार कपासन को बंटवाडा करने का आदेश दिया जिसका प्रकरण संख्या 127/2015 दर्ज होकर दिनांक 16/02/2015 को प्रस्तुत होकर न्यायालय मे लम्बित रहा इसके पश्चात् कैम्प कोर्ट हथियाना मे 14.07.2016 को पेश हुआ तथा जिसमे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण के सम्मन भी तामील नही हुये उसके बावजूद उसी दिनांक को न्यायालय ने विपक्षीगण को बिना सुनवाई के मौका व साक्ष्य का मौका नही देते हुए बंटवाडा की डिक्री पारित कर दी जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. दिनांक 16/02/2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया निर्मलादेवी द्वारा प्रतिवादीगण अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से लगायत 10 तक एवं अपीलान्ट की उक्त आराजीयात को संयुक्त खातेदारी की बताते हुए अपना कब्जा बताकर बंटवाडे का दावा पेश किया है जो सरासर गलत है। इसके अलावा सभी प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण की वास्तविक तामील भी नही हुई और न ही कैम्प कोर्ट मे उसके अधिवक्ता या स्वंय उपस्थित हुये इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का मौका दिये तथा जवाब भी पेश नही करने का मौका देते हुए जो वादिया का वाद स्वीकार कर दिया जो गलत होने से न्यायालय आप मे अपील पेश है। दिनांक 14/07/2016 को कैम्प कोर्ट हथियाना मे पत्रावली पेश हुई जिसमे प्रतिवादी के अनुपस्थिति का अंकन भी किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण एवं अपीलान्ट को जो जवाब व साक्ष्य तथा सुनवाई का मौका नही देने से उक्त निर्णय व अपील निरस्त योग्य है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नही थी। अपील पेश करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य करने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर कपासन का निर्णय एवं डिक्री प्राथमिक दिनांक 14/07/2016 को निरस्त

करते हुए उक्त निर्णय हेतु अपीलान्ट का जवाब व साक्ष्य आदि का मौका देने के लिये अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त निर्णय हेतु पत्रावली प्रतिप्रेषित कराई जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब एवं साक्ष्य को रिकार्ड पर नही लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे पत्राली दिनांक 16/04/15 को सुनवाई हेतु निर्धारित थी, उसके बाद पत्रावली सीधे कैम्प कोर्ट मे दिनांक 14/07/16 को चली गई एवं निर्णय पारित कर दिया गया उन्होने यह भी उल्लेख किया कि कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय से भिन्न स्थान पर रखा गया जो कि राजकीय निर्देशो के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के सम्बन्ध मे जो मौका पर्चा बनाने गये तब अपीलान्ट को जानकारी हुई जिसके आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि यह निर्णय लोक अदालत मे हुआ है जिसकी अपील नही की जा सकती। राज्य सरकार द्वारा राजस्व वादो के त्वरित निस्तारण हेतु लोक अदालत लगाकर प्रकरण निर्णित किया गया है। अपील अपीलान्ट सारहीन है। ऐसी सूरत मे खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी कपासन द्वारा प्रकरण संख्या 127/2015 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14/07/2016 अपास्त की जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्ययालय को प्रतिप्रेतिषत किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ